

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू जिला जयपुर
सीने अधिकारी :- हिम्मत सिंह

द सं. 37/2019

उनवान

1. कजोड
 2. अमरचन्द
 3. छीतर
 4. लाला
 5. मालीराम
 6. बोदूराम
 7. लालचन्द
 8. मदन
 9. भगवान सहाय
 10. गोपाल
 11. बंशी
 12. शैतान
 13. सरजू देवी पत्नी स्व० कालू
 14. फूलचन्द
 15. भेरू
 16. श्रवण
 17. सुवा
 18. बंशी
 19. भोलू
 20. जगदीश पुत्रान् गंगाराम
 21. नानू
 22. बनवारी
 23. रामलाल पुत्रान् गंगाराम
 24. कमलेश
 25. विकास
 26. बजरंग लाल
 27. ताराचन्द
 28. सुरज्ञान
 29. हीरा
 30. सुण्डा
 31. मालू उर्फ मालीराम
- पुत्रान स्व० मुकुन्दाराम
पुत्रान स्व० बालूराम
स्व० कालूराम
पुत्रान किशना
पुत्रान ग्यारसा
गंगाराम
माता श्रवणी देवी पुत्री गंगाराम
पुत्रान स्व० सोनाराम
पुत्रान स्व० मुरलीधर

समस्त जाति जाट, निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र स्व० नाथू
 2. गोपी पुत्र स्व० चन्दा
 3. सेडू पुत्र कानाराम
 4. सूरजभान
 5. मोहन
 6. सेवाराम पुत्रान् हनुमान
 7. तेजपाल
 8. मोहित
 9. शंभू कुमार
 10. विकास
- पुत्रान स्व० सागर
श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० सागर

उपखण्ड अधिकारी
चोमू जिला

प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 11 समस्त जाति जाट, निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

12. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. प्रबंधक महोदय, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौमूं जिला जयपुर
14. प्रबंधक महोदय, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कालाडेरा जिला जयपुर
15. प्रबंधक महोदय, देना बैंक, शाखा कालाडेरा जिला जयपुर
16. प्रबंधक महोदय, सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, शाखा चौमूं जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 12.02.2020

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा तहसील चौमूं के निवासी है, जहां वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती पैतृक कृषि भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 एक ही परिवार के सदस्य है, चुकि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही मौरी साल की संताने है, जिनका सजरा खानदान (मौरी साल) निम्न प्रकार है-

वाके ग्राम कालाडेरा पटवार हल्का कालाडेरा के निवासी है जहां वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती पैतृक कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न सारणीनुसार है:-

सारणी संख्या 1 (खाता संख्या 72 नया व पुराना 23)

क्र०स०	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3359	0.63
2.	3439	0.70
3.	3441	0.74
4.	3442	0.94
5.	3443	0.72
6.	3444	0.50
7.	3445	0.48
कुल किता 7 का कुल रकबा 4.71 है०		

सारणी संख्या 2 (खाता संख्या 75 नया व पुराना 24)

क्र०स०	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3206	0.93
2.	3207	0.06
3.	3208	0.09
कुल किता 3 का कुल रकबा 1.08 है०		

सारणी संख्या 3 (खाता संख्या 80 नया व पुराना 29)

क्र०स०	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3296	0.16
2.	3297	0.18
3.	3299	0.54
4.	3300	0.28
5.	3301	0.26
6.	3315	0.05
	3316	0.35
	3317	0.26
	3347	0.39
कुल किता 9 का कुल रकबा 2.47 है०		

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

सारणी संख्या 4 (खाता संख्या 253 नया व पुराना 81)

क्र०स०	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3385	0.29
2.	3388	0.16
3.	3389	0.22
4.	3390	0.30
5.	3394	0.35
6.	3418	0.53
7.	3432	0.24
8.	3436	0.38
9.	3451	0.16
कुल किता 9 का कुल रकबा 2.63 है०		

सारणी संख्या 5 (खाता संख्या 412 नया व पुराना 254)

क्र०स०	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3306	0.96
2.	3307	1.96
3.	3349	0.59
4.	3352	0.45
5.	3352 / 3610	0.01
6.	3360	0.48
7.	3361	0.68
8.	3362	0.51
9.	3363	0.52
10.	3364	0.61
11.	3365	1.00
12.	3365 / 3609	0.01
13.	3366	0.75
14.	3370	0.11
15.	3371	0.10
16.	3372	0.68
17.	3375	0.19
18.	3380	1.05
19.	3382	0.34
20.	3383	0.19
21.	3401	0.03
22.	3402	0.03
23.	3411	0.12
24.	3412	0.55
25.	3415	0.76
26.	3416	0.75
27.	3423	0.01
28.	3424	0.24
29.	3425	0.29
30.	3426	0.02
31.	3427	0.05
32.	3449	1.09
33.	3450	0.16
34.	3453	0.16
कुल किता 34 का कुल रकबा 15.45 है०		

सारणी संख्या 6 (खाता संख्या 442 नया व पुराना 285)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3373	0.22
2.	3376	0.39

उपखण्ड अधिकारी
बौद्ध जिला जयपुर

3.	3403	0.13
4.	3404	0.28
5.	3410	0.21
6.	3419	0.35
7.	3434	0.29
8.	3464	0.31
कुल किता 8 का कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर		

सारणी संख्या 7 (खाता संख्या 450 नया व पुराना 737)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3282	0.37
2.	3288	0.37
3.	3291	0.17
4.	3292	0.03
5.	3293	0.03
6.	3294	0.02
7.	3295	0.12
8.	3304	0.34
9.	3305	0.28
10.	3348	0.37
11.	3368	0.31
12.	3378	0.25
13.	3400	0.51
कुल किता 13 का कुल रकबा 3.17 हैक्टेयर		

सारणी संख्या 8 (खाता संख्या 451 नया व पुराना 738)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	4141/3379	0.1350
कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1350 हैक्टेयर		

सारणी संख्या 9 (खाता संख्या 520 नया व पुराना 682)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3367	0.14
2.	3369	0.10
3.	3384	0.29
4.	3395	0.21
5.	3397	0.16
6.	3398	0.20
7.	3399	0.31
8.	3405	0.20
9.	3409	0.13
10.	3433	0.42
11.	3452	0.18

उपखण्ड आरिफ़ा
बोम्बे जिला जयपुर

8.	3479	0.59
कुल किता 8 का कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर		

सारणी संख्या 14 (खाता संख्या 1070 नया व पुराना 768)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	3280	0.48
2.	3298	0.59
3.	3321	0.43
4.	3322	0.21
5.	3323	0.44
6.	3327	0.52
7.	3328	0.14
8.	3333	0.32
9.	3334	0.13
10.	3335	0.09
11.	3343	0.11
12.	3344	0.29
कुल किता 12 का कुल रकबा 3.75 हैक्टेयर		

- 1- (A) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 1, खाता संख्या 72** के खसरा नम्बर 3439 रकबा 0.70 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में अपने-अपने हिस्सेनुसार दर्ज है, परन्तु आपसी मनबट के आधार पर अर्से-दराज से उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से 10 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 कब्जाकाशत है, एवं इसी प्रकार 35 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 14 व 15 काबिज काशत है, एवं 18 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 9 ता 13 का कब्जाकाशत है एवं 7 ऐयर भूमि रास्ते के लिए उपयोग में ली जा रही है, जिस पर वादी संख्या 5 ता 28 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है एवं इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 2- (B) वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 2 में खाता संख्या 75** का खसरा नम्बर 3208 का रकबा 0.09 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 ता 8 व 16 ता 19 व 26 ता 28 के नाम भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर अर्से-दराज से वादीगण संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत रहा है एवं वादी संख्या 29 ता 31 हिस्सेनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 3- (C) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 3 खाता संख्या 80** का खसरा नम्बर 3296 का रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3299 का रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3300 का रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3316 का रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3317 का रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें -
 - खसरा नम्बर 3296 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि में 7 ऐयर भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कब्जाकाशत है एवं 5 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 एवं 4 ऐयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का अर्से-दराज से कब्जाकाशत चला आ रहा है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.54 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व 0.27 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत चला आ रहा है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3300 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व 0.04 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत चला आ रहा है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3316 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि में से 0.32 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व 0.02 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जा मात्र चला आ रहा है एवं 0.01 भूमि रास्ते हेतु वादीगण व

उपर्युक्त अधिकारी
चौधू जिला जयपुर

प्रतिवादीगण उपयोग, उपभोग में ले रहे है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

- खसरा नम्बर 3317 रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि में से 0.10 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 ता 4 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में व कब्जा काशत में है एवं 0.02 हैक्टेयर (2 ऐयर) भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 एवं 0.13 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जा काशत है एवं 0.01 हैक्टेयर (1 ऐयर) भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 4- (D) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 4 खाता संख्या 253** के खसरा नम्बर 3390 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3394 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 20 ता 25 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें-
- खसरा नम्बर 3390 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 14 ता 15 का कब्जाकाशत है एवं 0.26 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 20 ता 25 का कब्जाकाशत है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 9 ता 13 का कब्जा काशत है एवं 0.02 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3394 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि में से 0.31 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 20 ता 25 का कब्जाकाशत है एवं 0.04 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 9 ता 13 का कब्जाकाशत है, जिसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि में से 0.23 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 20 ता 25 का कब्जा काशत है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 9 ता 13 का कब्जाकाशत है, जिसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 5- (E) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 5 खाता संख्या 412** के खसरा नम्बर 3365 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3423 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें से 0.52 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है एवं 0.42 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काशत है एवं 0.06 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है एवं इसी प्रकार घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा खसरा नम्बर 3423 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है, जिसमें से सम्पूर्ण भूमि पर वादी संख्या 26 ता 28 काबिज काशत है, एवं घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 6- (F) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 6 खाता संख्या 442** के खसरा नम्बर 3373 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3376 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3404 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3434 रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी संख्या 14 व 15 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें से खसरा नम्बर 3373 में से 0.22 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जा चला आ रहा है, एवं खसरा नम्बर 3376 रकबा 0.39 हैक्टेयर की भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है, खसरा नम्बर 3404 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 0.26 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 14 व 15 के नाम है तथा काबिजकाशत है व 0.02 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 9 ता 13 के कब्जे में है, जिसकी इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3434 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से 0.26 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 14 व 15 स्वयं काबिजकाशत है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 9 ता 13 का कब्जा है, एवं 0.02 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु काम में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 7- (G) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 7 खाता संख्या 450** के खसरा नम्बर 3282 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3289 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3291 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3292 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3293 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3294 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3295 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3304 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3348 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3268 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3378 रकबा 0.25 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि पर वादी संख्या 26 ता 28 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें-
- खसरा नम्बर 3282 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.36 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जा है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि पर रास्ता कायम है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिनियम
बोम्बे जिला अजिमे

- खसरा नम्बर 3288 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.34 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जा है एवं 0.03 हैक्टेयर भूमि पर रास्ता है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3291 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादीगण संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3292 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जा काशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3293 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का व 0.02 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3294 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकात है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3295 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का व 0.04 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3304 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से 0.09 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 का व 0.25 हैक्टेयर पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत चला आ रहा है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3348 रकबा 0.37 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्से पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3368 रकबा 0.31 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3378 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है एवं इसी अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।
- 8- (H) वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित **सारणी संख्या 8 खाता संख्या 451** के खसरा नम्बर 4141/3379 रकबा 0.1350 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 26 ता 28 के नाम से है, जो सम्पूर्ण भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है एवं घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 9- (I) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 9 खाता संख्या 520** के खसरा नम्बर 3367 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3369 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 9 ता 13 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें खसरा नम्बर 3367 में से सम्पूर्ण 0.14 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 5 ता 8 का व खसरा नम्बर 3369 रकबा 0.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत चला आ रहा है, एवं इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- 10- (J) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 10 के खाता संख्या 640** के खसरा नम्बर 3312 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3319 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3340 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3345 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3458 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 5 ता 8 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें :-
- खसरा नम्बर 3312 रकबा 0.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि 0.28 हैक्टेयर पर वादी संख्या 1 ता 4 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3319 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर पर वादी संख्या 1 ता 4 व 0.03 हैक्टेयर पर वादी संख्या 16 ता 19 एवं 0.08 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3340 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3345 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से 0.28 हैक्टेयर पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है एवं शेष 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
 - खसरा नम्बर 3458 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादी संख्या 26 ता 28 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा खसरा नम्बर 3318 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 5 ता 8 का व 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु तथा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 का बिज काशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड कोमि करी
वाँ, जिला जयपुर

(K) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 11 खाता संख्या 704** के खसरा नम्बर 3324 रकबा 1.23 हैक्टेयर वादी संख्या 5 ता 8 व 16 ता 19 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें-

- खसरा नम्बर 3324 रकबा 1.23 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 व 0.57 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का व 0.55 हैक्टेयर भूमि पर 5 ता 8 का कब्जाकाशत है एवं 0.04 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

12-

(L) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 12 खाता संख्या 922** के खसरा नम्बर 3313 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3320 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3406 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3407 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3430 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3459 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है, जिसमें-

- खसरा नम्बर 3313 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादी संख्या 1 ता 4 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3320 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.29 हैक्टेयर पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जा काशत है एवं 0.04 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत है एवं 0.04 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3406 रकबा 0.24 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर वादी संख्या 26 ता 28 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3407 रकबा 0.39 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर वादी संख्या 26 ता 28 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3430 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 26 ता 28 का कब्जाकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

13-

खसरा नम्बर 3459 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वादी संख्या 26 ता 28 का कब्जाकाशत है एवं इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

14-

(M) वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित **सारणी संख्या 13 खाता संख्या 859** में खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.77 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 5 ता 8 व 16 ता 19 व 26 ता 28 के नाम से भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें से खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 0.74 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जा व 0.03 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 20 ता 25 का कब्जाकाशत चला आ रहा है, इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

15-

(N) वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित **सारणी संख्या 14 खाता संख्या 1070** के खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3322 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3323 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 29 ता 31 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें-

- खसरा नम्बर 3298 रकबा 0.59 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 ता 4 का कब्जाकाशत है एवं 0.24 हैक्टेयर भूमि पर 16 ता 19 का कब्जाकाशत है एवं 0.05 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3322 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 16 ता 19 का कब्जाकाशत है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जा काशत है एवं 0.14 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत है एवं 0.02 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- खसरा नम्बर 3323 रकबा 0.44 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 29 ता 31 का कब्जाकाशत है एवं 0.03 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 5 ता 8 का कब्जा काशत है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग, उपभोग में ली जा रही है तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

16-

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है, जिसका सजरा खानदान वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्शाया गया है व विवादग्रस्त भूमि का वर्षों से अच्छे बुरे के आधार पर मनबट के आधार पर काशत करते चले आ रहे है, भूमि शामलाती होने के कारण व एक ही परिवार के सदस्य द्वारा मनबट के आधार पर अलग अलग स्थान पर आपसी सहमति से काशत करते है व रहवास बनाकर निवास करते चले आ रहे है। वाद पत्र के मद संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

की सारणी संख्या 1 ता 14 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित कर अलग से तकासमा किया जाकर पृथक से पर्चा जारी करवाने के अधिकारी है।

17- वादीगण विवादित आराजीयात में निहित हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काशत है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है।

18- वादीगण ने विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 से विवादित आराजीयात उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाये जाने हेतु एवं तकासमा किये जाने बाबत बार बार अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा वादीगण को शीघ्र ही खातेदारी नाम करवाने व तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जा रहा तथा वादीगण के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात का विधिवत् खातेदारी घोषणा व तकासमा नहीं करवाया गया।

19- वादीगण द्वारा दिनांक 10.04.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात का **बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स** के आधार पर विवादित आराजीयात का विधिवत् खातेदारी घोषित करवाये जाने व तकासमा किये जाने बाबत निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 उग्र हो गये तथा वादीगण को विवादित आराजीयात का विधिवत् खातेदारी घोषित करवाने व तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजीयात जो वर्तमान में शामलाती कब्जेकाशत की भूमि है, उक्त भूमि का बिना विधिवत् घोषणा करवाये व तकासमा करवाये ही काशत करने, बेचान, हस्तान्तरण करने पर आनादा है। जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

20- वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है, जिसका सजरा खानदान वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्शाया गया है व विवादग्रस्त भूमि का वर्षों से अच्छे बुरे के आधार पर मनबट के आधार पर काशत करते चले आ रहे है, भूमि शामलाती होने के कारण व एक ही परिवार के सदस्य द्वारा मनबट के आधार पर अलग अलग स्थान पर आपसी सहमति से काशत करते है, वाद पत्र के मद संख्या 2 की सारणी संख्या 1 ता 14 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित कर तकासमा किया जाकर पर्चा लगान अलग से जारी किया जावे।

वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करवाये कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये, ना ही किसी दिगर व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण आदि करे, अर्थात प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे।

एड० हेमराज चौधरी द्वारा वादीगण की ओर से पत्रावली पेश हुई एवं दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 16 बावजुद तलबी अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से एड० रामसिंह भदाला ने वकालतनामा एवं स्वीकारोक्ती जवाबदावा पेश किया। अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश किया गया जो स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली तलब कि गयी। वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है की हम वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 के मुताबिक उक्त वाद को अन्तिम डिक्री करने की कृपा करें।

पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत आपसी समझौता सहमति पत्र के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है। वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार काशतकार हैं। जिससे वादी का वाद आपसी सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 के अनुसार राजीनामा स्वीकारा कर तस्दीक किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वाद वादी बाबत तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा को आपसी सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार चौमू को तहरीर जारी हो। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत आपसी सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 उक्त डिक्री का भाग रहेगा।

निर्णय आज तारीख 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिम्मत सिंह
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

उनवान

1. कजोड
2. अमरचन्द
3. छीतर
4. लाला
5. मालीराम
6. बोदूराम
7. लालचन्द
8. मदन
9. भगवान सहाय
10. गोपाल
11. बंशी
12. शैतान
13. सरजू देवी पत्नी स्व० कालू
14. फूलचन्द
15. भैरू
16. श्रवण
17. सुवा
18. बंशी
19. भोलू
20. जगदीश पुत्रान् गंगाराम
21. नानू
22. बनवारी
23. रामलाल पुत्रान् गंगाराम
24. कमलेश
25. विकास
26. बजरंग लाल
27. ताराचन्द
28. सुरज्ञान
29. हीरा
30. सुण्डा
31. मालू उर्फ मालीराम

पुत्रान स्व० मुकुन्दाराम

पुत्रान स्व० बालूराम

स्व० कालूराम

पुत्रान किशना

पुत्रान ग्यारसा

गंगाराम

माता श्रवणी देवी पुत्री गंगाराम

पुत्रान स्व० सोनाराम

पुत्रान स्व० मुरलीधर

समस्त जाति जाट, निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र स्व० नाथू
2. गोपी पुत्र स्व० चन्दा
3. सेडू पुत्र कानाराम
4. सुखीमान
5. मोहन
6. सेवाराम पुत्रान् हनुमान
7. तेजपाल
8. मोहित
9. रमेश कुमार
10. विकास
11. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० सागर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

- प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 11 समस्त जाति जाट, निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
12. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू जिला जयपुर।
 13. प्रबंधक महोदय, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौमू जिला जयपुर
 14. प्रबंधक महोदय, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कालाडेरा जिला जयपुर
 15. प्रबंधक महोदय, देना बैंक, शाखा कालाडेरा जिला जयपुर
 16. प्रबंधक महोदय, सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, शाखा चौमू जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :-37/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाद वादी बाबत तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा को आपसी सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत आपसी सहमति पत्र बाबत राजीनामा दिनांक 12.02.2020 उक्त डिक्री का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार चौमू को तहरीर जारी हो।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 12.02.2020 को जारी किया गया।



दस्तखत

ओहदेव
उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	5		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

